


- 8) उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।
- 9) प्रमाणित किया जाता है कि सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।
- 10) पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
- 11) संबंधित सहायक शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- 12) उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 019668/2022, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक 5788/2023 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक डी.वाय. 35325/2023 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा परित आदेश के अध्यक्षीन होगी।



 जिला शिक्षा अधिकारी
 जिला बस्तर (छ0ग0)

पृ.क्र./2229/स्था.03/सीधी भर्ती-2023/सहा.शिक्षक/2024,

जगदलपुर, दिनांक 09/03/2024

प्रतिलिपि :-

- 1) निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
- 2) प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
- 3) सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
- 4) संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
- 5) महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर को सादर सूचनार्थ।
- 6) संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन इंद्रावती भवन अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
- 7) कमिश्नर, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ।
- 8) कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ।
- 9) संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ।
- 10) जिला कोषालय अधिकारी, जिला बस्तर को सूचनार्थ।
- 11) समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित सहायक शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात्, सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे एवं दस्तावेज में त्रुटि पाये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावें।
- 12) संबंधित प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित सहायक शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात्, सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे एवं दस्तावेज में त्रुटि पाये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावें।
- 13) संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 14) कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।


 जिला शिक्षा अधिकारी
 जिला बस्तर (छ0ग0)


COP/2023/0400992





BAR COUNCIL OF INDIA
(CONSTITUTED UNDER THE ADVOCATES ACT, 1961)


Certificate of Practice

This is to certify that Mr. / Ms. **ARTI PATEL**
S/o / D/o / W/o **VINOD KUMAR** enrolled as an Advocate under
The Advocates Act, 1961 with SBC Enrollment No. **CG/545/2022/ADV.** is entitled to practice
the profession of law in India in accordance with The Advocates Act, 1961 and the Rules governing such practice
framed by the Bar Council of India, as he/she has successfully qualified in the All India Bar Examination-XVII
vide AIBE Roll No. **17887184** Dated this the **29th** day of **April** 2023.


Manan Kumar Mishra
Chairman
Bar Council of India


Shailendra Dubey
Member
Bar Council of India


Satish Chandra Varma
Chairman
Bar Council of Chhattisgarh


Srimanto Sen
Secretary
Bar Council of India

21, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi-110002

This is an ePaper which is electronically secured using QR Code, Please download AIBE App from Playstore/App Store for instant verification and additional information.

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Extension Office: Near Town
Hall, Collectorate Road,
Bilaspur (C.G.) 495 001
Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises
Bilaspur (C.G.) 495 001
Phone: 07752-241309
Fax: 07752-241309

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2023/

Date : 12.01.2023

प्रति,

KU. GUNJAN SONI, ADV.
S/O/D/O/W/O SHRI ANIL KUMAR SONI
BRAMHA ROAD, INFRONT OF KESHARWANI BHAWAN, AMBIKAPUR, SURGUJA (C.G.)

(वृत्तिक स्थल - अंबिकापुर)

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 11.01.2023 को आपको स्टेट बार कौंसिल की नामांकन समिति द्वारा एडवोकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौंसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन क्रमांक **CG/208/2023/ADV.** नामांकन दिनांक 11.01.2023 है।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009-2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडवोकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौंसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे।

बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित है तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अपोलिखित दूरभाष क्रमांक से प्राप्त कर लें।

उपरोक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौंसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें। इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेंगे।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौंसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते हैं :-

The Secretary,
Bar Council of India,
21, Rouse Avenue,
Institutional Area
New Delhi+
Telephone No.011-492250000, 32402082,
Telefax : 011-41036283
Email :- Info@ barcouncilofindia. Org
Website: www.barcouncilofindia.org



भवदीय

(अमित कुमार वर्मा)
सचिव
छ.ग.रा.वि. परिषद

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Extension Office: Near Town
Hall, Collectorate Road,
Bilaspur (C.G.) 495 001
Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises
Bilaspur (C.G.) 495 001
Phone: 07752-241309
Fax: 07752-241309

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Commit./2022/

Date : 26.07.2022

प्रति,

KU. PRAMILA ADV.
S O D O W O SHRI MANIRAM
VILLAGE RAMESHWARPUR, POST KALYANPUR,
BLOCK + DISTT SURAJPUR, DISTT SURAJPUR (C.G.)

(वृत्तिक स्थल - अबिकापुर)

महोदय / महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 25.07.2022 को आपको स्टेट बार कौंसिल की नामांकन समिति द्वारा एडवोकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौंसिल आफ इ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन क्रमांक CG/931/2022/ADV. नामांकन दिनांक 25.07.2022 हैं।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009-2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडवोकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौंसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे।

बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित है तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष क्रमांक से प्राप्त कर लें।


उपरोक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौंसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें। इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेंगे।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौंसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं :-





The Secretary,
Bar Council of India,
21, Rouse Avenue,
Institutional Area
New Delhi+
Telephone No.011-492250000, 32402082,
Telefax : 011-41036283
Email :- Info@ barcouncilofindia. Org
Website: www.barcouncilofindia.org








भवदीय


(अमित कुमार वर्मा)
सचिव
छ.ग.रा.वि. परिषद

VYAPAM'S COPY

	Chhattisgarh Professional Examination Board , RAIPUR		ADMIT CARD
	Pre B.Ed Entrance Exam 2022		
	Registration No.: BDED22103995122 Candidate's Name SHRUTI SINHA Roll No. : 11201082 Category : GENERAL	 	
Center Code and Name : 1120, SUN RISE HR.SEC. SCHOOL,CHANDANI CHOWK, KHAIRBAR ROAD, AMBIKAPUR			
Signature of Candidate	Signature of Invigilator	Date	

CANDIDATE's COPY

	Chhattisgarh Professional Examination Board , RAIPUR		ADMIT CARD
	Pre B.Ed Entrance Exam 2022		
	Registration No.: BDED22103995122 Roll No.: 11201082 Candidate's Name : SHRUTI SINHA Relative's Name : SHUSHIL KUMAR SINHA Date of Birth: 05/09/1999 Gender: FEMALE Category: GENERAL Class : Others	 	
Address of Candidate : Ward No 05, Godhanpur, Ambikapur, Surguja - 497001, CHATTISGARH	Date of Exam : 12/06/2022 Time B.Ed 10:00 AM TO 12:15 PM		
Examination Center code and Name 1120, SUN RISE HR.SEC. SCHOOL,CHANDANI CHOWK, KHAIRBAR ROAD, AMBIKAPUR		 Controller	

अभ्यर्थी के लिए आवश्यक निर्देश :-

1. सभी अभ्यर्थियों के लिए मास्क/फेस कवर लगाना अनिवार्य है, बिना मास्क/फेस कवर के अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
2. परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में मतदाला पहचान पत्र/डाइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड जिसमें अभ्यर्थी का फोटो हो, का मूल पहचान पत्र परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। वर्ष 2021-22 का विद्यालय का फोटो परिचय पत्र भी मान्य होगा।
3. परीक्षार्थी परीक्षा के दिन, परीक्षा प्रारंभ समय से कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केन्द्र में अनिवार्यतः उपस्थित रहे, जिससे परीक्षार्थी का सहायन मूल पहचान पत्र से किया जा सके। सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को परीक्षा कार्य में संलग्न अधिकारियों के निर्देश के अनुसार अपने मास्क को हटाना होगा।
4. परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में केवल काले या गीले बाल प्वाइंट पेन को ही उत्तर अंकित करने हेतु उपयोग में लावे।
5. किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घंटी या अन्य सामग्री लेकर जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा कक्ष में घड़ी, पाउच, स्कार्फ एवं इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को लाना पूर्णतः वर्जित है।
6. काउंसिलिंग के समय प्रवेश पत्र मांगा जाता है, अतः इसे सुरक्षित रखें। व्यापम द्वारा दायरा जारी नहीं किया जायेगा।
7. अभ्यर्थी अपने साथ हेण्ड सैनिटाइजर की छोटी पारदर्शी बोतल रख सकते हैं।
8. परीक्षा हॉल में एवं परीक्षा हॉल के बाहर अभ्यर्थियों को भारत सरकार/ छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कोविड- 19 के सम्बन्ध में जारी अद्यतन निर्देशों का पालन करना होगा।
9. निर्देशों का पालन न करने पर सीट/क अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वर्जित कर सकेगे।